

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग



प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के नवीन एवं नवीकृत छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना।

पात्रता :

1. बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
2. प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् हों।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्र/छात्रा।
4. छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से ज्यादा संस्थानों में अध्ययनरत् न हों।

अहर्ता :

1. माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपये।
2. केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत् हो।
3. केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् हो।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत देय राशि :

1. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
2. बिहार सरकार के संकल्प संख्या-4061 दिनांक-16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर।

आवेदन की प्रक्रिया :

1. आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में National Scholarship Portal Version 2.0 (NSP-2.0) के वेबसाइट <https://scholarships.gov.in> पर उपलब्ध है।
3. National Scholarship Portal के Home Page पर State Schemes को चयन करने के पश्चात् Post-Matric Scholarship-Bihar के अन्तर्गत Apply करेंगे।
4. छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय छात्र/छात्रा उसी संस्थान का नाम चयन करें जिसमें वो अध्ययनरत् हों।
5. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र का हार्ड कॉपी के साथ सभी वांछित दस्तावेजों को दो प्रतियों में संलग्न कर अध्ययनरत् संस्थान में जमा करेंगे।
6. संस्थान एक प्रति Acknowledgement के रूप में आवेदक को वापस करेंगे तथा दूसरी प्रति को Online सत्यापन/अग्रतर कार्रवाई हेतु अपने पास रखेंगे।
7. सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों को सत्यापनोपरांत ऑनलाईन अग्रसारित करना अनिवार्य है।
8. विशेष जानकारी के लिए टॉल फ्री नं०- 0120-6619540 एवं विभागीय दूरभाष नं० 0612-2215265 पर संपर्क किया जा सकता है।
9. निर्धारित तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेज:-

1. विगत वर्ष का अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र।
2. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत माता-पिता/अभिभावक का अद्यतन (विज्ञापन प्रकाशन से एक वर्ष के अन्दर निर्गत) आय प्रमाण पत्र।
3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
4. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र।
(बिहार लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) के तहत निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।)
5. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में अपने बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड एवं खाता संख्या अंकित करने के पश्चात् साक्ष्य के रूप में स्कैन किया गया पासबुक का प्रथम पृष्ठ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. आधार कार्ड (यदि हो तो) का स्कैन कॉपी।
7. उक्त सत्र का शुल्क की प्राप्ति रसीद।
8. आवेदक का फोटोग्राफ।

आवेदन करने की तिथि :

1. छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि-08 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 तक।
2. निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2